

उत्तरांचल वन विकास निगम
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005

प्रत्येक अभिकरण (एजेन्सी) को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)

उत्तरांचल वन विकास निगम को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है। यह संस्था अपने स्रोतों से ही आर्थिक स्थाईत्व प्राप्त कर रही है एवं अपने विभिन्न कार्मिकों की कार्य योजनाएँ स्वयं निर्मित कर उनका संचालन करती है। उत्तरांचल वन विकास निगम के प्रबन्ध मण्डल द्वारा वार्षिक रूप से प्रस्तावित बजट एवं पुनरीक्षित बजट पारित किया जाता है तथा प्रति वर्ष आय-व्यय का विवरण तैयार कर सनदी लेखाकार से परीक्षित कराये जाने के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। इस विवरण का अलग से मुद्रण भी कराया जाता है।